न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन

तारीख हुक्म	प्र.सं. 163/2024	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज — सुरेन्द्र बनाम राजकिशन
12/3/25		पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 02/4/25 को पेश हो।
2/4/25		पत्रावली पेश हुई। अधि० अप्रार्थीगण उपस्थित। अधि० सरकार से जवाब आवश्यक। जवाब हेतु निर्देश पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/4/25 को पेश हो।
23/4/25		पत्रावली पेश हुई। अधि० अप्रार्थीगण उपस्थित। अधि० उप० के जवाब प्राप्त और SHO रिपोर्ट पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21/5/25 को पेश हो।
21/5/25		पत्रावली पेश हुई। अधि० अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)
23/05/2025		पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसला शुमार हो। नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

ठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

र्थना पत्र कमांकः— 163/2024

1.बुद्धो बेबा महावीर जाति लोधा निवासी पुरा तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।
2.चित्रा
3.गुडिया पुत्रियां महावीर नाबालिक संरक्षक कुदरती वली माता बुद्धो पत्नि महावीर जातियान लोधा निवासी पुरा तहसील उच्चैन, भरतपुर।
4.पंकज पुत्र महावीर नाबालिक संरक्षक कुदरती वली माता बुद्धो पत्नि महावीर जातियान लोधा निवासी पुरा तहसील उच्चैन, भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1.रामकिशन पुत्र बृजेन्द्र सिंह जाति लोधा निवासी पुरा तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।
2.तहसीलदार/उपपंजीयक उच्चैन।
3. शीला पत्नि प्रभू जाति लोधा निवासी तुहियापट्टी पुरा, उच्चैन, जिला भरतपुर।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

3. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण
4. श्री नरेन्द्रपाल सिंह एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—23.05.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी संख्या 2, 3 ,4 नाबालिक है उनकी ओर से उनकी माता कुदरती संरक्षक वाद /प्रार्थना पत्र पेश कर रही है जिसकी परमिशन हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है इस प्रकरण के सभी पक्षकार स्वास्थ्य चित्त एवं मानसिक रूप से सही हैं। आराजी खसरा नंबर 873/ 0.20 ग्राम व पटवार हल्का अंधियारी तथा खसरा नंबर 919/ 0.11 बाके ग्राम तुहियापट्टी उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है। नकल जमाबंदी संवत 2075–78 शामिल पत्रावली है। उक्त आराजी को आगे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त आराजी प्रार्थी संख्या एक के ससुर का प्रार्थी /वादी संख्या 2 3 4 व तरतीवी संख्या 2, 3, 4, 5 के बाबा बृजेंद्र की छोड़ी हुई आराजी है । उक्त आराजी पैतृक होने के कारण प्रार्थी गण व तरतीवी प्रतिवादिगण संख्या 2,3,4,5 को इसे प्राप्त करने का वाई वर्थ व कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। प्रार्थी संख्या एक के प्रति व प्रार्थी गण संख्या 2,3,4 तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 4 ,5 के पिता महावीर का स्वर्गवास हो गया है तथा प्रार्थी संख्या 01 के ससुर व प्रार्थी संख्या 2, 3, 4 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 ,5 के बाबा बृजेंद्र का भी स्वर्गवास हो गया है। आराजी खसरा नंबर 873 जो कि अभी बृजेंद्र के नाम ही दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नंबर 919 जो की हिस्सा अनुसार महावीर के नाम दर्ज रिकार्ड है

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

इसलिए प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 4 ,5 उक्त विवादित आराजी में हिस्सा अनुसार अपने नाम की घोषणा करने व राजस्व रिकार्ड में इंद्राज करने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 रामकिशन जो कि प्रार्थी संख्या 1 बेबा बुद्धो का जेठ है जो कि उक्त संपूर्ण आराजी को हड़पना चाहता है। जिसने चालाकी से मेरी नंदो यानी अपनी बहनों केला, गीता, मीना, बिरजी, शांति , शिवदेई पुत्रियां बृजेंद्र को बहकावे में लेकर तथा लालच देकर अपने पक्ष में गुप्त तरीके से रिलीज डीड करा ली है । जबकि उक्त नंदों के बच्चों के भात पक्ष वगैरह में समय–समय पर मेरे पति महावीर ने रुपए व आभूषण दिए हैं । प्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी गण की बेबसी का नाजायज फायदा उठाकर उक्त विवादित आर जी को बिना विभाजन कराये बेचना चाहता है । और दीगर शख्स को कब्जा मेरे हिस्से व कब्जे की आराजी पर देना चाहता है।उक्त आराजी पर हम प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण मनवट के अनुसार शामिल काश्त कर रहे हैं क्योंकि प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण 2,3,4,5 के उक्त आराजी में खातेदारी हित समान है। दिनांक 12.12.2021 को अप्रार्थी असल ने मौके पर खुलेआम धमकी दी है कि अब मैं तुम्हें उक्त आराजी पर काश्त नहीं करने दूंगा व कहा कि तुम्हें उक्त आराजी के कब्जे से बेदखल कर दूंगा। मैं आराजी का बिना कानूनी विभाजन कराये बेचान दीगर शख्स को करूंगा। और कब्जा भी दीगर शख्स को तुम्हारे हिस्से व कब्जे की आराजी पर दूंगा । ऐसा नहीं करने व उक्त आराजी का कानूनी विभाजन कराए जाने बाबत प्रति संख्या एक प्रार्थी संख्या एक के सामने गिड़गिड़ाई लेकिन उसने उक्त आराजी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों को मानने से और कानूनी विभाजन कराया जाने से साफ इनकार कर दिया। एवं कहा कि तुम पर बने सो करो तुम्हारा व तुम्हारी संतान का इस आराजी में कोई हिस्सा नहीं है। यह आराजी मेरे पिता बृजेंद्र की छोड़ी हुई है। उक्त दी गई धमकी से भयभीत होकर प्रार्थी गण द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। प्रार्थियां शीला ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 01नियम 10 सीपीसी उक्त प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाये जाने हेतु पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2023 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया शीला को अप्राार्थी संख्या 03 के रूप में पक्षकार मुकदमा बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के द्वारा दिनांक 22.05.2024 को जबाब पेश कर निवेदन किया कि मुझ अप्रार्थी संख्या 01 को मेरी बहनों ने आराजी ख0 नं0 919 रकबा 0.11 है0 से अपने हिस्से 6/8 की रिलीज मेरे पक्ष में करवा दी। मुझे अपने कर्जे को उतारने के लिए अपने हिस्से की आराजी का बेचान अप्रार्थी संख्या 03 शीला पत्नि प्रभू को कर दिया था। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 01 को तंग करने की नीयत से पेश किया है। प्रार्थिया ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ मूल वाद पत्र में धारा 88,89 की दादरसी चाही है। जबकि उक्त प्रोपर्टी में बाबा एवं पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई है। प्रार्थिया के द्वारा विरासत का दाखिला खुलवाने के स्थान पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर झूठे तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाना चाहा है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुर (भरतपुर)

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभि0 प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है। जो कि उनको पूर्वजों से प्राप्त हुई है एवं अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त आराजी बहनों से मिलीभगत करके खुद के नाम रिलीज डीड करवा ली। इसके पश्चात उक्त आराजी का बेचान कर दिया। ख0 नं0 919 में प्रार्थीगण को हिस्सा अनुसार आराजी मिलनी चाहिये थी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाये जाने का निवेदन किया। अभि0 अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ख0 नं0 919 में बहनों के द्वारा मेरे हक में हकत्याग किया गया था जिसके कारण में उक्त आराजी में 7/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार हो गया। एवं मेरे उपर कर्ज होने के कारण मैंने आराजी ख0नं0 919 में अपने हिस्से की आराजी को शीला को विक्रय कर दिया। ख0 नं0 873 का यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो मुझ अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2075–2078 एवं अप्रार्थी द्वारा पेश बयनामा दिनांक 03.01.2022 , हकत्याग पत्र दिनांक 22.12.2021 का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी ख0 नं0 919 में अपने हिस्से की आराजी का हकत्याग अप्रार्थी संख्या 01 की बहनों द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के हक में निष्पादित किया है। उक्त आराजी में अपने हिस्से की आराजी को बेचान करने की पूर्ण अधिकार अप्रार्थी संख्या 01 को है। अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा उक्त आराजी ख0 नं0 919 में अपने हिस्से की आराजी का बेचान अप्रार्थी संख्या 03 को किया है। ऐसी स्थिति में यदि ख0 नं0 919 पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता एवं 873 पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में अप्रार्थीगण ने कोई ऐतराज व्यक्त नहीं किया

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस अग्र जारी कर पावंद किया जाता है कि विवादित आराजी ख0 नं0 873/0.20 है0 वाके ग्राम अंधियारी तहसील उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर